भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 1221**

09 फरवरी, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

**आयुष औषधियों के भ्रामक विज्ञापन**

1221. श्री विजय कुमार:
श्रीमती गीता कोडा:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार की आयुष औषधियों/उत्पादों के अनुचित/झूठे/भ्रामक विज्ञापनों में संलिप्त कंपनियों/संस्थाओं को रोकने के लिए कोई व्यापक नीति बनाने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने ऐसे अपराधों/मामलों के लिए कंपनियों/संस्थाओं के विरुद्ध कोई कार्रवाई की है और यदि हां, तो उनके विरुद्ध की गई कार्रवाई और उन पर लगाए गए जुर्माने के ब्यौरे सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या ऐसी अधिकांश फर्मों को केवल चेतावनी देकर छोड़ दिया गया है और कड़ी कार्रवाई नहीं किए जाने के कारण ये कंपनियां पुन: ऐसे विज्ञापन शुरू कर देती हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उक्त मुद्दे के संबंध में कोई सख्त कानून बनाने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**<u>उत्तर</u>**

**आयुष मंत्री (श्री सर्बानंद सोणोवाल)**

(क) से (घ): जी हां। औषधि एवं चमत्कारिक उपचार (आक्षेपणीय विज्ञापन) अधिनियम, 1954 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दिखाई देने वाले भ्रामक विज्ञापनों और औषधियों एवं औषधीय पदार्थों, जिनमें आयुष औषधियां भी शामिल हैं, के अतिरंजित दावों के निषेध के प्रावधान हैं और सरकार ने इस पर संज्ञान लिया है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को औषधि एवं चमत्कारिक उपचार (आक्षेपणीय विज्ञापन) अधिनियम, 1954 और उसके तहत नियमों के प्रावधानों को लागू करने का अधिकार है।

आयुष मंत्रालय की केन्द्रीय क्षेत्र योजना यथा 'आयुष औषधि गुणवत्ता एवं उत्पादन संवर्धन योजना (एओजीयूएसवाई योजना) के अंतर्गत देश के विभिन्न भागों में स्थापित आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी औषधियों के भेषजसतर्कता केन्द्रों को संबंधित राज्य विनियामक प्राधिकरणों को भ्रामक विज्ञापनों की निगरानी करने और रिपोर्ट करने का अधिदेश दिया गया है। एक त्रिस्तरीय ढांचा स्थापित किया गया है जिसमें एक राष्ट्रीय भेषजसतर्कता समन्वय केन्द्र (एनपीवीसीसी), मध्यवर्ती भेषजसतर्कता केन्द्र (आईपीवीसी) और परिधीय भेषजसतर्कता केन्द्र (पीपीवीसी) शामिल हैं। आयुष मंत्रालय के तहत अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (एआईआईए), नई दिल्ली आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी औषधियों के राष्ट्रीय भेषजसतर्कता कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय भेषजसतर्कता समन्वय केंद्र (एनपीवीसीसी) है।

भेषजसतर्कता कार्यक्रम के अंतर्गत, चूककर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई शुरू करने के लिए संबंधित राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकारियों को आपत्तिजनक/भ्रामक विज्ञापनों की नियमित रूप से सूचना दी जाती है। अब तक लगभग 357 ब्रांडों को औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 का अनुचित लाभ उठाने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं।

उपभोक्ता मामले विभाग (डीओसीए) भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ शिकायत (जीएएमए) पोर्टल का रखरखाव करता है, जो भ्रामक विज्ञापनों के मामलों से निपटने के लिए एक मंच प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, चूंकि टीवी चैनलों के लिए विनियम और प्रवर्तन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (एमओआईबी) के अधिदेश के अंतर्गत आते हैं, इसलिए टीवी चैनलों पर प्रसारित होने वाले भ्रामक विज्ञापनों के प्रसंग एमओआईबी को कार्रवाई हेतु अग्रेषित किए जाते हैं।

इसके अलावा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के प्रावधानों के तहत, उपभोक्ताओं के अधिकारों के उल्लंघन, अनुचित व्यापार प्रथाओं और झूठे या भ्रामक विज्ञापनों से संबंधित मामलों को विनियमित करने के लिए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) की स्थापना की गई है। इसके अलावा, सीसीपीए ने भ्रामक विज्ञापनों और भ्रामक विज्ञापनों के लिए एंडोर्समेंट की रोकथाम के लिए **9** जून **2022** को जारी दिशा-निर्देशों को अधिसूचित किया है। इन दिशा-निर्देशों में विभिन्न प्रावधान हैं जिनमें लिखित शामिल हैं:

**(क)** किसी विज्ञापन के गैर-भ्रामक और वैध होने की शर्तें;

**(ख)** प्रलोभन विज्ञापनों और मुफ्त दावा विज्ञापनों के संबंध में कुछ शर्तें; और

**(ग)** विनिर्माता, सेवा प्रदाता, विज्ञापनदाता और विज्ञापन एजेंसी के कर्तव्य।

ये दिशा-निर्देश उन विनिर्माताओं, सेवा प्रदाताओं या व्यापारियों पर लागू होते हैं जिनके सामान, उत्पाद या सेवाएं किसी विज्ञापन में प्रदर्शित की जाती हैं। इसके अतिरिक्त, ये दिशा-निर्देश ऐसी विज्ञापन एजेंसियों और एंडोर्स करने वाले पर लागू होते हैं जिनकी सेवाओं का उपयोग ऐसे सामानों, उत्पादों या सेवाओं के प्रचार के लिए किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, विभिन्न राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार भ्रामक विज्ञापनों पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा **संलग्नक-I** में दिया गया है।

*****

**संलग्नक-I**

**भ्रामक विज्ञापनों पर की गई कार्रवाई का विवरण:**

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम</th><th>राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार से प्राप्त जानकारी</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>तमिलनाडु</td><td>मैसर्स पी जी फार्मा, नंबर 2/143, शिवदापुरम के अस्त्र पावर टॉनिक कैप्सूल और क्रीम का लाइसेंस झूठे दावे के साथ अवैध विज्ञापन के लिए एक महीने के लिए निलंबित कर दिया गया। मैसर्स एंशिएंट फार्मा, अय्यनारपुरम के बोराक्सिन मलहम का लाइसेंस झूठे दावे के साथ अवैध विज्ञापन के लिए एक महीने के लिए निलंबित कर दिया गया। मैसर्स शंकरालय हर्बल्स प्राइवेट लिमिटेड, मंगलनगर, चेन्नई के सेग्रो प्लस कैप्सूल, मुस्ली सेग्रो कैप्सूल और कामना कैप्सूल का लाइसेंस झूठे दावे के साथ अवैध विज्ञापन के लिए एक महीने के लिए निलंबित कर दिया गया।</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>दिल्ली</td><td>आयुष औषधियों पर अपराधों/भ्रामक विज्ञापनों के मामलों के लिए कंपनियों/निकायों को कारण बताओ नोटिस/ज्ञापन जारी किए गए हैं। पिछले तीन वर्षों में कुल 125 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं और भ्रामक विज्ञापनों को हटाने की जांच करने के बाद चेतावनी जारी की गई है।</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>आंध्र प्रदेश</td><td>क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान (होम्योपैथी), गुडिवाडा, आंध्र प्रदेश ने मैसर्स श्री मंजूनाथ आयुर्वेदिक प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ उनके उत्पाद एसएमए नव्य हेयर ऑयल के लिए शिकायत दर्ज की है। सोशल मीडिया पर भ्रामक विज्ञापन में एक सप्ताह के भीतर गंजे सिर पर तेजी से बाल उगने, केवल पांच दिन में बाल फिर से उग आने और सफेद बालों के काले रंग में तत्काल और स्थायी रूप से बदल जाने का दावा किया गया था। निरीक्षक और लाइसेंसिंग अधिकारी ने 09/10/2023 को एक नोटिस जारी किया, जिसमें मैसर्स श्री मंजूनाथ आयुर्वेदिक प्राइवेट लिमिटेड से तत्काल स्पष्टीकरण मांगा गया।</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>कर्नाटक</td><td>पिछले 3 वर्षों के दौरान भ्रामक विज्ञापनों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा नीचे दिया गया है:
<table>
<tr><td>वर्ष</td><td>जारी किए गए नोटिसों की संख्या</td></tr>
<tr><td>2021</td><td>392</td></tr>
<tr><td>2022</td><td>354</td></tr>
<tr><td>2023</td><td>139</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>5.</td><td>पुडुचेरी</td><td>पहचान किए गए 9 मामलों में से 6 मामलों में कार्रवाई शुरू कर दी गई है और इन्हें कानूनी रूप से आगे कार्रवाई हेतु सहमति के लिए विधि विभाग, पुडुचेरी को अग्रेषित कर दिया गया है।</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>गुजरात</td><td>ब्यौरा संलग्नक-II में दिया गया है</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>जम्मू और कश्मीर</td><td>शून्य</td></tr>
<tr><td>8.</td><td>अरुणाचल प्रदेश</td><td>शून्य</td></tr>
<tr><td>9.</td><td>मिजोरम</td><td>शून्य</td></tr>
<tr><td>10.</td><td>ओडिशा</td><td>शून्य</td></tr>
<tr><td>11.</td><td>छत्तीसगढ़</td><td>शून्य</td></tr>
</table>

**संलग्नक-II**

| वर्ष 2021 के दौरान फर्म के खिलाफ डीएमआर अधिनियम-1954 के संबंध में की गई कार्रवाई का विवरण | | | |
|---|---|---|---|
| **क्र.सं** | **विनिर्माता/वितरक का नाम** | **विषय/उत्पाद का नाम** | **कार्रवाई** |
| 1. | मैसर्स जिनिवा फार्मा, अहमदाबाद, गुजरात | बेस्ट-टोनर कैप. | सहायक आयुक्त, अहमदाबाद-1 को जांच करने के लिए कहा गया है। |
| 2. | मैसर्स जगत फार्मा, उत्तर प्रदेश | आइजोटिन आई ड्रापॅ | फर्म को एस.सी.एन. जारी किया गया और डी.सी. उत्तर प्रदेश को भेजा गया है। |
| 3. | मैसर्स इंडो हर्बल प्रोडक्ट्स (यूनिट 2), उत्तराखण्ड | रूप मंत्रा | भुज के सहायक आयुक्त को जांच करने के लिए कहा गया है। |
| 4. | मैसर्स श्री धन्वंतरी हर्बल्स, पंजाब | सच्ची सहेली | भुज के सहायक आयुक्त को जांच करने के लिए कहा गया है। |
| 5. | मैसर्स कुमार प्रोडक्ट्स, अहमदाबाद | कार्डिसिप सिरप | फर्म को एस.सी.एन. जारी किया गया और सहायक आयुक्त, अहमदाबाद-1 को जांच करने और रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। |
| 6. | मैसर्स यूपीएस आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर, वलसाड | डॉ. चेला ओन्को बैन | सहायक आयुक्त, वलसाड को जांच करने के लिए कहा गया है। |
| **पिछले एक वर्ष-2022 के दौरान फर्म के खिलाफ डीएमआर अधिनियम-1954 के संबंध में की गई कार्रवाई का विवरण** | | | |
| **क्र.सं** | **विनिर्माता/वितरक का नाम** | **विषय/उत्पाद का नाम** | **कार्रवाई** |
| 1. | मैसर्स सेठ ब्रदर्स, भावनगर, गुजरात | कायम आयुर्वेदिक टैबलेट | सहायक आयुक्त, भावनगर को जांच करने के लिए कहा गया है। |
| 2. | मैसर्स दर्श बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात | मेनोलीफ सिरप | फर्म को एससीएन जारी किया गया और एसी अहमदाबाद (ग्रामीण) को जांच करने के लिए कहा गया है। |
| 3. | मैसर्स हीलवेल इंटरनेशनल लिमिटेड, मेहसाणा, गुजरात | विगोरल-एलए लिक्विड | फर्म को एस.सी.एन. जारी किया गया और एसी मेहसाणा को जांच करने और रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। |
| 4. | मैसर्स, एसबीएल पी. लिमिटेड, हरिद्वार, उत्तराखंड | एसबीएल ड्रॉप्स नंबर 6 | सहायक आयुक्त, भावनगर को जांच करने के लिए कहा गया है। |
| **पिछले एक वर्ष-2023 के दौरान फर्म के खिलाफ डीएमआर अधिनियम-1954 के संबंध में की गई कार्रवाई का विवरण** | | | |
| **क्र.सं** | **विनिर्माता/वितरक का नाम** | **विषय/उत्पाद का नाम** | **कार्रवाई** |
| 1. | भार्गव फाइटोलैब प्रा.लि. | आर्थारल गोलियाँ | फर्म को एस.सी.एन. जारी किया गया और डी.सी. राजस्थान को भेज दिया गया। |
| 2. | आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (आईटीआरए), जामनगर की शिकायत | डॉ. ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल कैप. एंड स्प्रे, सेक्स समस्या, हरस भगंदर, फिशर, हेमपुष्पा, कैलास जीवन मल्टीपरपज, रूप मंत्रा, कॉलेजियन क्रीम, आई क्रीम, माई | सभी अंचल कार्यालयों के सहायक आयुक्त को जांच करने और रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | फेयर सनस्क्रीन, फेस वाश, सोप एंड क्रीम, झांसी बैद्यनाथ, डा'जिएग्रा जापानी एंड जापानी-एफ-कैप्सूल, राइट शुगर टेबलेट, चतुर्भुज ऑयल एंड कैप्सूल पेट सफा, दिव्य पतंजलि, आयुर्वेदिक विभिन्न उत्पाद । | |
| 3. | आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (आईटीआरए), जामनगर की शिकायत | डॉ. ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल कैप. एंड स्प्रे, सेक्स समस्या, हरस भगंदर, फिशर, हेमपुष्पा, कॉलेजियन क्रीम, डी ए जीआग्रा, पेट सफा, पिरामल न्यूट्रियलैक्स-ए, वीटा-एक्स ऑयल एंड वीटा एक्स गोल्ड प्लस कैप्सूल्स, ब्रूमेक्स फोर्ट फ्लाई एबव, टॉर्क "सोर्थोमैक जेल। | सभी अंचल कार्यालयों के सहायक आयुक्त को जांच करने और रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। |
| 4. | आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (आईटीआरए), जामनगर की शिकायत | डॉ. ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल कैप. और स्प्रे, सेक्स समस्या, हरस भगंदर, फिशर, हेमपुष्पा, कैलास जीवन मल्टीपरपज, कॉलेजियन क्रीम, डी ए जीआग्रा, पेट सफा, पिरामल न्यूट्रियलैक्स-ए, वीटा-एक्स ऑयल और वीटा एक्स गोल्ड प्लस कैप्सूल्स, ब्रूमेक्स फोर्ट फ्लाई एबव, टोर्क "सोर्थोमैक जेल। | सभी अंचल कार्यालयों के सहायक आयुक्त को जांच करने और रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। |
| 5. | आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (आईटीआरए), जामनगर की शिकायत | डॉ. ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल कैप. एंड स्प्रे, सेक्स समस्या, हरस भगंदर, फिशर, हेमपुष्पा, कैलास जीवन मल्टीपरपज, रूप मंत्रा, कॉलेजियन क्रीम, आई क्रीम, माई फेयर सनस्क्रीन फेस वाश, सोप एंड क्रीम, झांसी बैद्यनाथ, डी ए जीआग्रा, जापानी एंड जापानी-एफ-कैप्सूल, राइट शुगर टैबलेट्स, चतुर्भुज ऑयल एंड कैप्सूल, पेट सफा, दिव्य पतंजलि आयुर्वेदिक विभिन्न उत्पाद, कबज हर, सच्ची सहेली, इचकू ओइंटमेंट। | सभी अंचल कार्यालयों के सहायक आयुक्त को जांच करने और रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। |
| 6. | आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (आईटीआरए) की शिकायत | डॉ. ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल कैप. एंड स्प्रे, सेक्स समस्या, हरस भगंदर-फिशर, हेमपुष्पा, कैलास जीवन मल्टीपरपज, कॉलेजियन क्रीम, झांसी बैद्यनाथ, डी ए जीआग्रा, पेटसफा, कब्ज हर, सच्ची सहेली, इचकू ओइंटमेंट, महाभृंगराज हेयर ऑयल, बैद्यनाथ आंवला जूस एंड एलोवेरा जूस, बैद्यनाथ आयुदंत, | सभी अंचल कार्यालयों के सहायक आयुक्त को जांच करने और रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | हवाबांण हरड़े और जलजीरा, बैद्यनाथ सुंदरी सखी, ब्रूमेक्स, परिमल न्यूट्रियलैक्स-ए, कायम चूर्ण एडवांयस ग्रेन्यूल्स, जख्मे रूज गुलाबी मल्लम, अम्लहारी टैब. | |
| 7. | आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (आईटीआरए) की शिकायत | महाभृंगराज हेयर ऑयल, पतंजलि दंतकांति, बैद्यनाथ सुदर्शन घनवटी, सच्ची सहेली सिरप, आई मंत्रा आई ड्रॉप्स, डॉ. ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल कैप. एंड स्प्रे, पेट सफा, डी-सोना आयुर्वेदिक गम केयर पाउडर, कैलास जीवन, मैजिक्स हेयर केयर, फैट-गो कैप. एंड एप्पल साइडर विनेगर, बवासीर जेल एंड कैप., रूपमंत्रा आयुर. फेस क्रीम एंड फेस वॉशेज, बैद्यनाथ सुंदरी सखी, बैद्यनाथ आयुदंत, कब्ज हर, बैद्यनाथ ज्वाइंट केयर प्रोडक्ट्स - बैद्यनाथ रन आउट प्रोडक्ट्स, हवाबांण हरड़े, दिविसा ऑल प्रोडक्ट्स, निकोजेल प्रो. | सभी अंचल कार्यालयों के सहायक आयुक्त को जांच करने और रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। |
| 8. | आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (आईटीआरए) की शिकायत | डॉ. ऑर्थो आयुर्वेदिक तेल कैप. एंड स्प्रे, सच्ची सहेली सिरप, आई मंत्रा आई ड्रॉप्स, पेट सफा, फैट-गो कैप. और एप्पल साइडर विनेगर, रूपमंत्रा आयुर फेस क्रीम एंड फेस वॉशेज, कब्ज हर/त्रिफला चूर्ण, गेसारी पील्स, मलशुद्धी टैब., वैद्यनाथ केसरी कल्प , वुडवर्ड्स ग्राइप वॉटर, वैद्यनाथ वीटा-एक्स/मल्ल तैल, ट्रिचप हेयर कंट्रोल, धूतपापेश्वर शिलाप्रवंग स्पेशल, जॉली तुलसी 51 ड्रॉप्स, धूतपापेश्वर स्वमाला गोल्ड, बैद्यनाथ हेल्दी हेयर प्रोडक्ट्स, कायम चूर्ण एडवांयस ग्रेन्यूल्स, जम्बोला लिक्विड एंड कैप., जॉली बवासीर जेल एंड कैप., मढीवाला पैन बाम स्ट्रोंग, रोसलिन लाइनमेंट, निकोजेल प्रो, बैद्यनाथ ज्वाइंट केयर प्रोडक्ट्स । | सभी अंचल कार्यालयों के सहायक आयुक्त को जांच करने और रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। |